

E-mail

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(02)खा.वि./आवंटन/2017

जयपुर, दिनांक: 02.02.2018

महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
रीजनल ऑफिस,
4, नेहरू प्लेस, टॉक रोड,
जयपुर-302015

विषय:- खाद्य सुरक्षा के तहत माह फरवरी, 2018 हेतु राशि जमा कराने, खाद्यान्न के उठाव की अवधि बढ़ाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2018 के खाद्यान्न (गेहूँ) का संपूर्ण उठाव चयनित लाभार्थियों के सत्यापन, सीडिंग कार्य एवं परिवहन साधनों के अभाव के चलते निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2018 तक पूर्ण नहीं हो सकेगा।

अतः संलग्न जिलेवार सूची के अनुसार खाद्यान्न की शेष मात्रा की राशि जमा करवाने एवं खाद्यान्न उठाव की वैधता अवधि दिनांक 15.02.2018 तक बढ़ाने का श्रम करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(अंजू राजपाल)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. विभागीय प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करें।
4. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

Encl

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(02)खा.वि./आवंटन/2017

जयपुर, दिनांक: 02.02.2018

महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
रीजनल ऑफिस,
4, नेहरू प्लेस, टॉक रोड़,
जयपुर-302015

विषय:- खाद्य सुरक्षा के तहत माह फरवरी, 2018 हेतु राशि जमा कराने,
खाद्यान्न के उठाव की अवधि बढ़ाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2018 के खाद्यान्न (गेहूँ) का संपूर्ण उठाव चयनित लाभार्थियों के सत्यापन सीडिंग कार्य एवं परिवहन साधनों के अभाव के चलते निर्धारित तिथि दिनांक 31.01.2018 तक पूर्ण नहीं हो सकेगा।

अतः संलग्न जिलेवार सूची के अनुसार खाद्यान्न की शेष मात्रा की राशि जमा करवाने एवं खाद्यान्न उठाव की वैधता अवधि दिनांक 15.02.2018 तक बढ़ाने का श्रम करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अंजू राजपाल)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. विभागीय प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करें।
4. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

मात्रा विच. में

क्र.सं.	जिले का नाम	आवृत्त गेहूँ की मात्रा	दिनांक 30.01.2018 तक उठाये गये गेहूँ की मात्रा	उठाव से शेष रही मात्रा
1	2	3	4	5
1	अजमेर(शहर)	30510	17353.16	13156.84
2	अजमेर (ग्रामीण)	31290	15527.1	15762.9
3	अलवर	101100	94125.29	6974.71
4	बांसवाडा	76680	16425.15	60254.85
5	बांस	40220	19700.62	20519.38
6	बाडमेर	86080	86080.00	0.00
7	भरतपुर(शहर)	34510	14446.27	20063.73
8	भरतपुर(ग्रामीण)	36420	14483.72	21936.28
9	भीलवाडा	61380	57488.46	3891.54
10	बीकानेर(शहर)	14620	11195.03	3424.97
11	बीकानेर(ग्रामीण)	39840	34023.33	5816.67
12	बूंदी	26030	20078.43	5951.57
13	चित्तौड़गढ़	43350	43350.00	0.00
14	चूरु	54730	26017.00	28713.00
15	दीसा	43860	20649.71	23210.29
16	धौलपुर	35430	28122.48	7307.52
17	डुंगरपुर	61260	36552.01	24707.99
18	श्रीगंगानगर	49050	42472.00	6578.00
19	हनुमानगढ़	40460	40460.00	0.00
20	जयपुर शहर	15000	9805.14	5194.86
21	जयपुर ग्रामीण	104610	76100.95	28509.05
22	जैसलमेर	17230	16268.13	961.87
23	जालौर	52300	48147.27	4152.73
24	झालावाड	45910	30600.00	15310.00
25	झुंझुनू	38060	38060.00	0.00
26	जोधपुर (शहर)	28806	6782.50	22023.50
27	जोधपुर (ग्रामीण)	45974	26215.96	19758.04
28	करौली	38080	23879.25	14200.75
29	कोटा (शहर)	20317	7436.75	12880.25
30	कोटा (ग्रामीण)	18573	4032.70	14540.30
31	नागौर	93080	68980.49	24099.51
32	पाली	56260	55908.55	351.45
33	प्रतापगढ़	34010	17681.08	16328.92
34	राजसमन्द	36620	35100.31	1519.69
35	सवाईमाधोपुर	34380	0.00	34380.00
36	सीकर	70980	44903.75	26076.25
37	सिरोही	36340	29151.80	7188.20
38	टोंक	42050	19146.74	22903.26
39	उदयपुर (शहर)	30000	26977.44	3022.56
40	उदयपुर (ग्रामीण)	75990	71796.03	4193.97
	योग	1841390	1295524.60	545865.40